न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–01, श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः– **रमेश कुमार जोशी,**
(अतिरिक्त कार्यभार)

दाण्डिक अपील संख्याः– 11/2026
CIS No.:– 42/2026
CNR No.:– RJSG010002362026

(1) सतपाल चन्द पुत्र कस्तूरी लाल उम्र 50 साल, निवासी वार्ड संख्या 09, 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर–राज0

(2) जयपाल पुत्र राम नारायण उम्र 45 साल निवासी 3 एफबी, शेख सरपार, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर–राज0

– अपीलार्थीगण

विरुद्ध

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर।

– प्रत्यर्थी

दांडिक नियमित अपील अंतर्गत धारा 6(सी) आवश्यक वस्तु अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 03.02.2026, न्यायालय–जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर, प्र.सं. 336/25 शीर्षक राज.सरकार जरिए कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम सतपाल चन्द, **जिसके माध्यम से धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी सतपाल चन्द के वाहन व डीजल, पैट्रोल को राजसात करने का आदेश पारित किया गया।**

प्रतिनिधित्व

1– अपीलार्थी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री आनन्द व्यास, श्री वैभव भारती, श्री आमीर खान एवं सुश्री प्रियंका व्यास।

2– राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ।

निर्णय

दिनांक:– 12.03.2026

01– अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त अनवानी प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2026 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गई, जो निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा विचारण न्यायालय की ओर से प्रकरण में जब्तशुदा 2600 लीटर डीजल, 20 लीटर पैट्रोल एवं वाहन रजि0 नंबर आरजे 13–जीसी–

2662 राजसात किये जाने के आदेश दिये गये।

02- प्रकरण के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर एवं मय प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 30.10.2025 को करणपुर-पदमपुर मार्ग पर गांव 4 डीडी/डेलवा में पदमपुर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 को संदेह की स्थिति में रूकवाया गया। मौके पर उक्त वाहन आरजे 13 जीसी 2662 में उपस्थित वाहन चालक एवं वाहन स्वामी सतपाल चंद पुत्र कस्तूरीलाल निवासी वार्ड संख्या 9, 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की उपस्थिति में वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 की जांच की गयी। मौका पर जांच से उक्त वाहन में 2600 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम व कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक कैनी पायी गयी। मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन करने पर उक्त 12 प्लास्टिक ड्रमो व 9 प्लास्टिक केनियो में पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया । मौके पर 12 बडे प्लास्टिक ड्रमों व 4 प्लास्टिक कैनियो में कुल 2600 लीटर डीजल तथा एक प्लास्टिक कैनी में कुल 20 लीटर पैट्रोल भरा होना पाया गया । वरवक्त पूछताछ सतपाल चंद ने प्लास्टिक ड्रमों व प्लाटिक कैनियो में भरा पैट्रोल व डीजल स्वयं का होना तथा पंजाब के पेट्रोल पंप से पैट्रोल व डीजल सस्ते दाम पर क्रय कर ग्रामीण किसानों को मांग अनुसार विक्रय किया जाना बताया । मौके पर सतपाल चन्द द्वारा पैट्रोल व डीजल भण्डारण /बेचान संबंधी कोई वैध अनुज्ञा पत्र/परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर पैट्रोल डीजल के अवैध रूप से अधिक मात्रा में भण्डारण के कारण जरिए फर्द जब्ती समस्त 2600 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम व कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक कैनी व प्रयुक्त वाहन आरजे 13 जीसी 2662 को जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा पैट्रोल व डीजल की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गयी व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया । इस प्रकार सतपाल चंद द्वारा पैट्रोल डीजल की अवैध रूप से खरीद , बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू) (आर), 03(4)(6),04 का स्पष्ट उल्लंघन् करने के कारण वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 मय 2600 लीटर डीजल मय 12 प्लास्टिक ड्रम व 8

प्लास्टिक कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय 01 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थनापत्र की गई।

03– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2026 पारित करते हुए अपीलार्थी से अभिगृहीत किये गए 2600 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोल व वाहन पिकअप संख्या RJ13 GC 2662 को राज्य पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया एवं वाहन की एवज में 07 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए, जुर्माना राशि जमा करवाये जाने पर ही वाहन को नियमानुसार सम्बन्धित वाहन स्वामी को लौटाये जाने का आदेश देते हुए यह भी आदेशित किया कि जब्तशुदा डीजल, पैट्रोल की विक्रय राशि व अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। उक्त निर्णय /आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

04– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष ने बहस के दौरान अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है, क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह अवगत करवाया गया था कि उसके द्वारा डीजल करलखेडा एचपी पंजाब से खरीद किया हुआ है जो अपीलार्थी अकेले द्वारा खरीद किया गया है। जिसका बिल भी अपीलार्थी ने 2450 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोल मौके पर जिला रसद अधिकारी को दिखाये गये परन्तु उन द्वारा उक्त बिलो पर ध्यान नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो बिल का अवलोकन किया गया और न ही इस कथन को माना गया कि वाहन में खरीदशुदा डीजल की मात्रा 2450 लीटर है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दबाव बनाते हुए 2600 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोल होने के कथन पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा माप का निर्धारण भी सही नहीं किया गया है। वास्तव में ड्रम की क्षमता 220 लीटर की है एवं सभी ड्रमो में 220 लीटर डीजल होने की स्थिति में 2640 लीटर डीजल होता है। जिला रसद अधिकारी को वास्तव का नापतोल उसी समय बिलो के आधार पर 2450 लीटर बताया था एवं पेट्रोल 20 लीटर बताया था । जिला रसद अधिकारी द्वारा यह जानते हुए कि 2500 लीटर डीजल के परिवहन की छूट है, इसलिए जानबूझकर डीजल को 2600 लीटर अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर कानूनी भूल की है। संपूर्ण पैट्रोलियम पदार्थ वाहन में 2470 लीटर है जो कि नियमानुसार 2500 लीटर से कम है। मौके पर न तो सीजर प्रति दी गई और न ही सैम्पलिंग की बोतल दी गई और न ही ड्रमो व कैनियों को सीलमोहर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय व भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर तक डीजल को परिवहन में किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होना नहीं पाया गया है । अपीलार्थीगण पेशे से किसान है एवं अपीलार्थी के पिता , पत्नी व स्वयं द्वारा कृषि भूमि ठेके पर लेकर काश्त की जाती है एवं जिसके लिए हर समय डीजल की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थीगण को खेती व टयूबवेल के लिए डीजल की हर समय आवश्यकता रहती है एवं पंजाब में डीजल सस्ता होने के कारण अपीलार्थी पंजाब से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए डीजल खरीद कर लाया था । अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं एवं उक्त आदेशो की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाहनो को सुपुर्दगी पर लौटाया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छेलू सिंह बनाम स्टेट में भी सुपुर्दगी पर वाहन लोटाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी अवगत करवाया गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर गंजम व अन्य में वाहन को राजसात करने के पश्चात लौटाये जाने की एवज में जुर्माना राशि न्यूनतम लगाये जाने के प्रावधान है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाहन की वैल्यू के आधार पर अधिकतम जुर्माना अधिरोपित किया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सांकेतिक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान न देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया गया कि विलायक, रेफीनेट, ओरस्लाप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के जब्ती के प्रावधानों में सैम्पल लिये जाने के प्रावधान आज्ञापक है जिनकी पालना जिला रसद अधिकारी द्वारा नहीं की गई है इसलिए आज्ञापक प्रावधानों की पालना के बगैर की गयी कार्यवाही दूषित कार्यवाही

की श्रेणी में आती है, अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.02.2026 को अपास्त कर अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0 बी0 क्रि0 मि0 एप्लीकेशन संख्या 609/2024 विनोद कुमार वगैरा बनाम स्टेट में पारित आदेश दिनांक 02.12.2024 की प्रति।

2. माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0 बी0 क्रि0 मि0 एप्लीकेशन संख्या 5833/2024 विनोद कुमार वगैरा बनाम स्टेट में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 की प्रति।

3. न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 47/24 विनोद कुमार वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2024 की प्रति।

05– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से पक्षकथन किया गया कि अपीलार्थीगण ने मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये और अपीलार्थीगण मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो को विफल करने हेतु After thought बिल प्रस्तुत किये हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा सतपाल चन्द से ही डीजल जब्त किया गया था। अपीलार्थी जानबूझकर डीजल को 2450 लीटर होना बता रहे है जबकि उनके द्वारा उक्त जब्तशुदा डीजल का अंतरिम निस्तारण किया गया है। जब्तशुदा डीजल की मात्रा 2600 लीटर ही है इसलिए उनके द्वारा 2600 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोल की राशि राजकोष में जमा करवायी गयी है। मौके पर अपीलार्थी सतपाल चन्द ने वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 मय 2600 डीजल स्वयं का होना बताया था परन्तु अपीलार्थी ने उक्त जब्तशुदा वाहन किसी जयपाल के व्यक्ति का होना बताया है और उसी के नाम की आरसी पेश की है। इससे तात्पर्य है कि अपीलार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो को विफल करने हेतु अपनी सुविधानुसार न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं जो किसी प्रकार से उचित नहीं है। अपीलार्थीगण डीजल के विक्रय के कार्य में लिप्त है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं के कृषक होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है न ही अपीलार्थी एवं उनके परिवार का ठेके पर काश्त करने का कोई दस्तावेज पेश किया है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता

नहीं होना दर्शाकर अपील अस्वीकार किए जाने व अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पुष्ट करने का निवेदन किया।

06- उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया।

07- इस सम्बन्ध में सुसंगत विधिक प्रावधान का अवलोकन किया जावे तो स्वीकृत रूप से आदेश, 1999 की धारा 2(आई) के अन्तर्गत एक समय में किसी व्यक्ति को 2500 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का खुदरा विक्रय अनुज्ञेय है और अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप(अर्जन, विक्रय, भण्डारण और आटोमोबाइल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं एवं अनुदेश में विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के अन्तर्गत बिन्दु सं. 12 में पत्रांकः पी-3/जयपुर दिनांक 4.6.2002 द्वारा उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त(प्रथम) खाद्य विभाग द्वारा जारीशुदा है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण उनके फलैश प्वांइट के अनुसार किया जाना दर्शाते हुए यह अनुदेशित किया गया है कि-

(1) पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण- पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फलैश प्वांइट के अनुसार किया गया है। पैट्रोलियम पदार्थ जिनका फलैश प्वाइंट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वह सभी वर्ग क में आते हैं एवं जिनका फलैश प्वाइंट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते हैं एवं जिनका फलैश प्वाइंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किए गए हैं। पत्र के क्रम में वाँछित वर्गीकरण इस प्रकार है-

Class A:	Hexane, NGL, Heptane
Class B:	MTO, C-9, Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent 90, Iomex
Class C:	Furnace Oil (FO), Light Diesel Oil(LDO), Aromex

(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गयी छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग का भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

08– इस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण आदि के सम्बन्ध में निर्गमित अनुदेशों के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग का भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में भी इस बात का उल्लेख आया है कि आदेश, 1999 के अनुसार 2500 लीटर तक डीजल क्रय कर परिवहन किए जाने की छूट है। स्वयं अपीलार्थी पक्ष ने भी इस प्रावधान को स्वीकार किया है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद के सम्बन्ध में किए गए प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति 2500 लीटर तक डीजल क्रय करके परिवहन कर सकता है।

09– हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से अपनी अपील के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किये हैं कि उक्त जो डीजल जब्त किया गया है, वह अपीलार्थी सतपाल के नाम से है। यदि डीजल के बिल का अवलोकन किया जावे तो बिल जो कि व्हाटसअप की प्रति है, वह सतपाल के नाम से 2450 लीटर डीजल का एवं 20 लीटर पेट्रोल के हैं। अपीलार्थीगण का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त बिल व्हाटसअप पर तुरंत मंगवाये जाना प्रतीत होता है क्योंकि मूल बिल आज भी पेश नहीं है एवं बिल सतपाल के नाम से है लेकिन गाडी किसी दूसरे के नाम से है, इसलिए उक्त डीजल अपीलार्थी जयपाल का ही हो, यह कहीं अंकित नहीं है एवं जो बिल पेश किये गये हैं वह मूल नहीं है, केवल फोटो प्रति है। इसलिए दौराने जब्ती फोन करके व्हाटसअप पर उक्त बिल मंगवाये गये प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी तेल खरीदा जाता है तो बिल यदि तेल विक्रेता प्रदत्त करता है तो कम्पयूटर जनरेटिड बिल ही आज के समय प्रदत्त करता है इसलिए भी उक्त बिलों पर सन्देह है। इसके अतिरिक्त यदि हाथ से भी लिखे हुए बिल है तो मूल बिल अपीलार्थी पक्ष ने वरवक्त जब्ती भी पेश नहीं किये है तथा अपील में भी मूल बिल पेश नहीं किये हैं एवं जो भी जब्त किये गये तेल डीजल व पेट्रोल के बिल नहीं है, इसलिए अपीलार्थीगण के पूरे तर्क अमान्य व तर्कविहीन प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है, उसमें डीजल 2600 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोल जब्त

किया गया है जिसकी राशि भी राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश में यहां तक कि कोई गलती प्रतीत नहीं हो रही है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए अपना आदेश पारित किया है। बाला–बाला आदेश पारित किया हुआ नहीं है। सभी तथ्यों को अंकित करते हुए ही आदेश पारित किया है।

10. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसके मुताबिक भी उक्त वाहन में जो डीजल था , वह जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा 2600 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोल तुलवाकर राशि प्राप्त की जाकर राजकोष में जमा करवायी है, यह कथन भी है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वाहन में 2500 लीटर से ज्यादा डीजल था , जिसकी राशि राजकोष में जमा करवाई गई तो यह अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि 2450 लीटर का जो बिल डीजल का है, वह निराधार है व सही नहीं है।

11. इसके अलावा विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वाहन को राजसात कर लिया गया तथा वाहन पर सात लाख रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने एस0बी क्रि0 मि0 पिटीशन नंबर 5833/24 विनोद कुमार वगैरा बनाम स्टेट में इसी प्रकार का मेटर था , जिसमें उक्त राशि को इससे पूर्व न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.07.2024 को आदेश पारित किया था , जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश में विचारण न्यायालय के जब्ती के दोरान जो 4,50,000 रूपये अर्थ दंड अधिरोपित किया गया था , उसको घटाकर 1,50,000 रूपये का जुर्माना किया गया, इसके परिप्रेक्ष्य में ही माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त एस0बी क्रि0 मि0 पिटीशन नंबर 5833/24 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 को उक्त 1,50,000 रूपये जुर्माना नहीं करवाकर गारंटी के बतौर रकम अदा करने का आदेश दिया गया , जिस पर भी प्रार्थीगण दुबारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुए , जिस पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0 क्रि0 एप्लीकेशन नंबर 609/24 में दिनांक 02.12.2024 को अपने आदेश में उक्त् 1,50,000 रूपये की गारंटी शब्द को अंकित करते हुए उक्त राशि के लिए Surety (प्रतिभू) के रूप में लेने का आदेश पारित किया ।

12. इसलिए माननीय राज0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ही हस्तगत पत्रावली /आदेश का अवलोकन करें तो उसमें वाहन पर 7 लाख रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है, इसलिए उसे घटाकर 2,50,000/- (ढाई लाख रूपये) की Surety (प्रतिभू) यदि अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करें तो प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 नंबर आरजे 13-जीसी-2662 को रिलीज करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:: आदेश ::-

13- अतः अपीलार्थीगण सतपाल चंद एवं जयपाल की ओर से प्रस्तुत अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 336/2025 शीर्षक राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम सतपाल चन्द में पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 में अपीलार्थी से जब्तशुदा 2600 लीटर डीजल, 20 लीटर पैट्रोल व वाहन आरजे 13 जीसी 2662 को राजसात करने बाबत पारित आदेश की पुष्टि की जाती है एवं उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जो 7 लाख रूपये जुर्माना की राशि है, उसको नहीं जमा करवाते हुए अपीलार्थीगण 2,50,000/- रूपये की Surety (प्रतिभू) विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करे , तो विद्वान विचारण न्यायालय वाहन पिकअप रजि0 नंबर आरजे 13-जीसी-2662 को रिलीज करने के आदेश पारित करे। अन्य कोई कार्यवाही इस प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन है , उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पडेगा । इस निर्णय व आदेश की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे।

(रमेश कुमार जोशी)

13- निर्णय व आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश कुमार जोशी)

SANDEEP KUMAR CHALANA

Steno Gr. 1st "Authenticated Document"
Digitally signed by SANDEEP KUMAR CHALANA
Date: 2026.03.13 12:59:23 +0000